संख्या– 3111 /नौ–8–2019–53ज/2018 टी.सी.।

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली/हाथरस/बॉदा/अलीगढ़/लखीमपुर–खीरी/प्रयागराज/वाराणसी/इटावा/बलरामपुर/हमीरपुर/आजमगढ़/सिद्धार्थ नगर।

नगर विकास अनुभाग–8 **लखनऊः दिनांक 22 नवम्बर, 2019**

विषय– प्रदेश की नगर निकायों का पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–777/9–8–2018–53ज/2017 टी.सी. दिनांक 21.03.2018 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद की 01 नगर पंचायत को प्रतिवर्ष पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत घोषित कर अवस्थापना सुविधायें विकसित किये जाने की योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके कम में शासन के पत्र संख्या–1344/9–8–2019–53ज/2018 टी.सी. दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्गत किए गये निर्देश के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नागर निकायों का चयन कर संस्तुतियॉ शासन को उपलब्ध करायी गयी हैं। जिलाधिकारियों से प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय वर्ष–2019–20 हेतु निम्न नागर निकायों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क0 सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु चयनित निकाय
1.	बरेली	शेरगढ़
2.	हाथरस	सहपऊ
3.	बॉदा	नरैनी
4.	अलीगढ़	पिलखना
5.	लखीमपुर–खीरी	सिंघाईभिण्डौरा
6.	प्रयागराज	भारतगंज
7.	वाराणसी	रामनगर (न0पा0परि0)
8.	इटावा	बकेबर
9.	बलरामपुर	उतरौला (न0पा0परि0)
10	हमीरपुर	सरीला
11.	आजमगढ़	महराजगंज
12.	सिद्धार्थनगर	बढ़नी बाजार

3. उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–777/9–8–2018–53ज/2017 टी.सी. दिनांक 21.03.2018 के प्रस्तर–7 में उन कार्यों का विस्तृत उल्लेख है, जिन्हें कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना है तथा प्रस्तर–6 के उप प्रस्तर–(1) यथा संशोधित शासनादेश संख्या–47/नौ–8–2019–53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में इस

योजना के अन्तर्गत चयनित नागर निकायों की कार्ययोजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से दी गयी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2018 के प्रस्तर–5 (क) में उक्त योजनान्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 10 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 2.00 करोड़, 10 हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 3.00 करोड़ और 20 हजार से 50 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 4.00 करोड़ की धनराशि दो किश्तों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित उक्त 12 नागर निकायों में से अपने जनपद से सम्बन्धित निकाय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–777/9–8–2018–53ज/2017 टी.सी दिनांक 21.03.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–47/नौ–8–2019–53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देश के अनुसार निकायों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाली निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार कार्ययोजना/डी.पी.आर. तैयार कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नागर निकाय से नियमानुसार कार्ययोजना प्राप्त कर शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नागर निकाय।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

योजना के अन्तर्गत चयनित नागर निकायों की कार्ययोजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से दी गयी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2018 के प्रस्तर–5 (क) में उक्त योजनान्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 10 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 2.00 करोड़, 10 हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 3.00 करोड़ और 20 हजार से 50 हजार तक की जनसंख्या वाली नगर पंचायत को रूपये 4.00 करोड़ की धनराशि दो किश्तों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित उक्त 12 नागर निकायों में से अपने जनपद से सम्बन्धित निकाय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–777/9–8–2018–53ज/2017 टी.सी दिनांक 21.03.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–47/नौ–8–2019–53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देश के अनुसार निकायों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाली निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार कार्ययोजना/डी.पी.आर. तैयार कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नागर निकाय से नियमानुसार कार्ययोजना प्राप्त कर शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नागर निकाय।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।